

सत्यब्रत साहु, आई.ए.एस
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
पर्यावरण भवन, 9वाँ तल,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली: 110003
अ.शा.पत्र संख्या डब्ल्यू-11011/06/2013-डब्ल्यूक्यू
दिनांक 11 अगस्त, 2014

विषय: आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातुओं, विषैले तत्वों, कीटनाशकों और उर्वरकों को दूर करने
के लिए समुदाय स्तर पर जल शुद्धिकरण प्रौद्योक्तियों के बारे में चर्चा संबंधी।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपको विदित होगा कि इस मंत्रालय का उर्पयुक्त उल्लिखित विषय पर इस वर्ष और
अगले दो वर्षों के दौरान पूरे देश में लगभग 20,000 बसावटों को कवर करने के लिए एक
योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

2. तदनुसार, कार्य प्रणालियों, पूँजी तथा ओएंडएम लागत आवश्यकताओं पर निर्णय लेने के
लिए चयनित प्रधान सचिवों/सचिवों एवं उनके मुख्य अभियंता/इंजीनियर-इन-चीफ के साथ जल
शुद्धिकरण संयंत्रों के बारे में विभिन्न प्रौद्योक्तियों के संबंध में विस्तृत चर्चा करने के लिए एक
बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक सम्मेलन कक्ष, 12वाँ तल, पर्यावरण भवन, नई
दिल्ली में दिनांक 19 अगस्त, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे शुरू होगी और इसके पूरा दिन
चलने की संभावना है। इसलिए, कृपया तदनुसार आने-जाने की यात्रा की योजना बनाई जाए
ताकि पूरे दिन के लिए आपकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

3. आपसे यह भी अनुरोध है कि आप मुख्य अभियंता/इंजीनियर-इन-चीफ को निर्देश दें कि वे
इस बैठक के लिए सभी सरकारी एवं प्राइवेट शोधन प्रौद्योक्तियों के सभी विवरण तथा
मौजूदा/अनुमोदित सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के प्रचालन की कार्य-प्रणालियों को अवश्य
साथ लाएँ।

4. कृपया उक्त बैठक में भाग लेने की पुष्टि करें।

सादर,

आपका,

सेवा में,

(सत्यब्रत साह)

प्रधान सचिव/सचिव प्रभारी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति
(आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी
बंगाल और असम)

प्रतिलिपि: सचिव (डीडब्ल्यूएस) के निजी सचिव